न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 60 / 2013

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
हेमपुरी पुत्र रूपपुरी जाति गोस्वामी निवासी बिलिया तहसील बाली		1. मोहनपुरी पुत्र रूपपुरी जाति गोस्वामी निवासी बिलिया तहसील बाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से श्री मांगीलाल प्रजापत, अधिवक्ता उपस्थित
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–31/01/2019

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 77 / 2009–10 संकल्प संख्या 5(8) दिनांक 15.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 21.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाता है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी प्रार्थी का रहवासी भूखण्ड ग्राम बिलिया की आबादी भूमि में 60x25 फुट का आया हुआ है, जिस पर 20 वर्ष से प्रार्थी का कब्जा है तथा पुराना मकान बना हुआ है, जिसमें प्रार्थी निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 03.11.2012 को प्रार्थी को धमकी दी कि मैन बाले बाले ग्राम पंचायत से मिलकर उक्त भूखण्ड का पट्टा बना दिया है तथा जल्द ही प्रार्थी को मौके से भूखण्ड खाली करा करा बेदखल करा देगा। प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी के भाई ने सिविल न्यायाधीश क0ख0 बाली में एक प्रकरण कब्जा प्राप्त करने का भी पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने वादस्थ भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र मय आवेदन नियमानुसार सामान्य नियम 145 के तहत दिनांक 27.10.2009 को प्रस्तुत नही किया था, साथ ही नियम 145 (1)(2)(3) के तहत शुल्क ही जमा नही करवाया, ग्राम सचिव द्वारा नियम 146 (1) के तहत स्थल का नक्शा व निरीक्षण नही किया तथा मौके पर अप्रार्थी व नक्शा नवीस द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये। नियम 146(3) के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित नही की गई तथा वार्ड पंचों ने किसी प्रकार की वैधानिक कब्जा व पुराना मकान होने की रिपोर्ट प्रस्तुत नही की। ग्राम पंचायत शिवतलाव में दिनांक 03.11.2009 को अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय विलेख जारी करने का अन्तरिम विनिश्चय का प्रस्ताव अन्तर्गत नियम 147 (1) व (2) के अनुरूप पारित नही किया, न ही ग्राम पंचायत ने आम आपत्ति नोटिस नियमानुसार जारी किया, न चस्पा किया। ग्राम पंचायत ने विक्रय विलेख जारी करने में पंचायत राज अधिनियम व सामान्य नियम 157 (क) व (ख) की पालना नही करते हुए दिनांक 21.12.2009 को ही पट्टा जारी

अति० जिला कलक्टर, पाली

कर लिया, जबकि आम आपत्ति नोटिस दिनांक 21.12.2009 को ही पट्टा जारी कर लिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज करावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 77/2009–10 संकल्प संख्या 5(8) दिनांक 15.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 21.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 27.10.2009 को ग्राम पंचायत शिवतलाव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने 60 वर्ष पुराने पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 27.10.2009 को मिसल कायम कर ग्राम सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गये। दिनांक 03.11.2009 को तीन वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत की एवं इसी दिनांक को एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करने का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 15.12.2009 को नियम 157 (2) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता हे कि ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में उपरोक्त प्रक्रिया की पालना नही की गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जिसे कायम रखा जाना कत्तई न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 77/2009–10 संकल्प संख्या 5(8) दिनांक 15.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 21.12.2009 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत शिवतलाव को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि दोनो

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली